

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 56

संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	246.03	361.00	607.03	314.88	357.00	671.88	409.05	357.00	766.05
पूंजी	340.97	68.00	408.97	340.97	72.00	412.97	...	72.00	72.00
जोड़	587.00	429.00	1016.00	655.85	429.00	1084.85	409.05	429.00	838.05
1. संसाधनों में आयोजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिये अनुदान और ऋण									
पांडिचेरी	3602	...	361.00	361.00	...	357.00	357.00	...	357.00
समग्र अंतर	7602	...	68.00	68.00	...	72.00	72.00	...	72.00
जोड़		...	429.00	429.00	...	429.00	429.00	...	429.00
2. संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं हेतु सहायता									
2.1 पांडिचेरी									
(क) सामान्य सहायता	3602	115.53	...	115.53	124.53	...	124.53	99.42	...
	7602	62.00	...	62.00	62.00	...	62.00	*	...
जोड़		177.53	...	177.53	186.53	...	186.53	99.42	...
(ख) गंदी बस्तियों का विकास	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	1.00
(ग) ईएपी के लिए सहायता	3602	3.67	...
(घ) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हेतु सहायता									
ग्रामोदय के अन्य कार्यक्रम	3602	4.65	...	4.65	4.65	...	4.65
(ङ) एनएसएपी के लिए सहायता	3602	0.54	...	0.54	0.54	...	0.54	1.15	...
(च) किशोर लड़कियों के लिए पोषाहार सहायता कार्यक्रम	3602	0.26	...	0.26	0.26	...	0.26	0.26	...
(छ) शहरी अवसंरचना हेतु सहायता	3602	1.15	...	1.15
(ज) विशेष आयोजना सहायता	3602	160.00	...
जोड़ (पांडिचेरी)		183.98	...	183.98	194.13	...	194.13	265.50	...
2.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली									
(क) सामान्य सहायता	3602	110.94	...	110.94	146.94	...	146.94	99.28	...
	7602	258.86	...	258.86	258.86	...	258.86	*	...
जोड़		369.80	...	369.80	405.80	...	405.80	99.28	...
(ख) गंदी बस्तियों का विकास	3602	5.38	...	5.38	5.38	...	5.38	5.38	...
	7602	12.56	...	12.56	12.56	...	12.56	*	...
जोड़		17.94	...	17.94	17.94	...	17.94	5.38	...
(ग) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए सहायता									
ग्रामोदय के अन्य कार्यक्रम	3602	3.23	...	3.23	3.23	...	3.23
	7602	7.55	...	7.55	7.55	...	7.55
जोड़		10.78	...	10.78	10.78	...	10.78
(घ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के लिए सहायता	3602	2.73	...	2.73	2.73	...	2.73	5.67	...
(ङ) शहरी आधार ढांचे को मजबूत करने संबंधी उपायों के लिए सहायता	3602	22.45	...	22.45	22.45	...
(च) किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम हेतु सहायता	3602	1.77	...	1.77	1.77	...	1.77	1.77	...
(छ) राज्य विकास रिपोर्ट की तैयारी हेतु सहायता	3602	0.25	...	0.25

सं.56/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
(ज) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता	3602	9.00	...	9.00	
जोड़-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	403.02	...	403.02	461.72	...	461.72	143.55	...	143.55	
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं हेतु सहायता	587.00	...	587.00	655.85	...	655.85	409.05	...	409.05	
कुल जोड़	587.00	429.00	1016.00	655.85	429.00	1084.85	409.05	429.00	838.05	
ग. आयोजना परिव्यय:-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाएं										
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र:										
पांडिचेरी	43602	183.98	...	183.98	194.13	...	194.13	265.50	...	265.50
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	43602	403.02	...	403.02	461.72	...	461.72	143.55	...	143.55
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाएं	587.00	...	587.00	655.85	...	655.85	409.05	...	409.05	

टिप्पणी: बारहवें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 464.00 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने हेतु समर्थ बनाया जाएगा।

इस संस्था में विधान मण्डलों वाला संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् पांडिचेरी सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार हेतु प्रावधान शामिल है।

पांडिचेरी: यह प्रावधान संसाधनों में आयोजन-भिन्न अन्तर को पूरा करने और आयोजना स्कीमों को वित्तपोषित करने के लिए केन्द्रीय सहायता दोनों के लिए हैं। आयोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता में सामान्य सहायता के साथ-साथ स्लम सुधार; विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं; राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसमें अन्नपूर्णा और किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है। सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ब. 2005-06 में 2.02 करोड़ रुपए) अब सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की मांग के अंतर्गत दिखाई जाती हैं। इसके अलावा, सुनामी से जुड़े पुनर्निर्माण कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए की विशेष आयोजना सहायता का एक-बारगी प्रावधान और सामान्य आयोजना-कार्यक्रमों के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का चूंकि चालू राजस्व में सकारात्मक शेष है, इसलिए संसाधनों में आयोजना-भिन्न अंतर को पूरा करने के लिए उसे कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती तथापि, आयोजना स्कीमों को वित्तपोषित करने के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। आयोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता में सामान्य सहायता के साथ-साथ विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है जैसे कि स्लम सुधार; विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं; राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिनमें अन्नपूर्णा (एनएसएपी) और किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी)। सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ब.अ. 2005-06 में 24.98 करोड़ रुपए) अब सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की मांग के अंतर्गत दिखाई जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए शहरी सुधार अवसंरचना कोष (यूआरआईएफ) के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है।